

3/5/24

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी विचार
कार्यों में व्यस्त है, मिसल इत्यादि होकर पत्रावली
पूर्व आदेशिकानुसार कार्यवाही दिनांक 23/5/24
को केस हो

23/5/24

पत्रावली पेश हुई। वकील पृथी उपस्थित। विपक्षीगण
संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
की ओर से अधिकारता मेहराराज सरण ने
वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली
किया जाता है। विपक्षीगण के सम्मान Registered
पाठ। जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है।
पत्रावली वस्ते विपक्षीगण के जवाब हेतु आईन्दा
दिनांक 07/06/2024 को पेश हो।



07/06/24

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
दीगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इत्यादि
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
आईन्दा दिनांक 20/06/24 को पेश हो।

20/6/24

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारण उपस्थित।
विपक्षीगण को जवाब का अवसर देने के बावजूद
भी कोई जवाब पेश नहीं किया गया। अतः उनका
जवाब बंद किया जाता है। वकील उभयपक्षकारण
की वकस सुनी गई। वकस पर नज़र किया गया।
पत्रावली का अध्ययन, अक्लोकन किया गया।
जिससे यह प्रतीत होता है कि पक्षीगण का
उपनि पत्र स्वीकार करने योग्य है।

अतः, पक्षीगण का उपनि पत्र स्वीकार
किया जाकर नैकमबंदी निर्णय अलग से लिखा
जाता है। निर्णय को शामिल पत्रावली किया जाता
है। पत्रावली केसल शुमार होकर शामिल इत्यादि
हो। संख्या से एक कम हो।



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं 331/2023 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

धना वगैरा बनाम खेता वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री विरेन्द्रसिंह भाटी आर.ए.एस
प्रार्थी वकील – श्री करनाराम कड़वासरा


निर्णय

दिनांक – 20/6/24

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र केकड़ भू.अ.नि. क्षेत्र बामड़ला के मौजा चौखापुरा के खेत खसरा संख्या 1215/146 रकबा 1.0926 हैक्टर, खसरा संख्या 1216/5 रकबा 2.4929 हैक्टर, खसरा संख्या 145 रकबा 0.0809 हैक्टर, खसरा संख्या 735/5 रकबा 0.0971 हैक्टर, खसरा संख्या 1217/5 रकबा 0.8094 हैक्टर, खसरा संख्या 834/146 रकबा 2.9542 हैक्टर, खसरा संख्या 733/5 रकबा 3.7636 हैक्टर किस्म बा.सोयम स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड़डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काशत प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र केकड़ भू.अ.नि. क्षेत्र बामड़ला के मौजा चौखापुरा के खेत खसरा संख्या 1215/146 रकबा 1.0926 हैक्टर, खसरा संख्या 1216/5 रकबा 2.4929 हैक्टर, खसरा संख्या 145 रकबा 0.0809 हैक्टर, खसरा संख्या 735/5 रकबा 0.0971 हैक्टर, खसरा संख्या 1217/5 रकबा 0.8094 हैक्टर, खसरा संख्या 834/146 रकबा 2.9542 हैक्टर, खसरा संख्या 733/5 रकबा 3.7636 हैक्टर किस्म बा.सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पैमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में कसबे एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो। पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फौसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/6/24 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।


(विरेन्द्रसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

<p>प्रार्थी</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. धना पुत्र भोजा 2. सुखराम पुत्र भोजा 3. पदमो पत्नि मगा 4. नेमाराम पुत्र मालाराम 5. रूपाराम पुत्र मालाराम 6. खुमा पुत्र चेतन 7. गुमना पुत्र चेतन 8. डालु पुत्र चेतन 9. सिमरथा पुत्र चेतन जाति जाट, निवासी चौखापुरा तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 	<p>विप्रार्थीगण</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. खेताराम पुत्र राणा 2. खेमीदेवी पत्नि आईदान 3. देवा पुत्र आईदान 4. बाबु पुत्र आइदान 5. मोहनीदेवी पत्नि भुराराम 6. रावता पुत्र राणा 7. सोना पुत्र मगना जाति जाट, निवासी चौखापुरा 8. प्रवीण पुत्र रूगनाथ 9. सुनील पुत्र रूगनाथ 10. विमला पुत्री रूगनाथ जाति विश्नोई, निवासी चौखापुरा, तहसील सेड़वा। 11. खीयाराम पुत्र निम्बाराम 12. जुंजाराम पुत्र निम्बाराम 13. जोगा पुत्र नरसीगा 14. बालीदेवी पत्नि निम्बाराम 15. भगाराम पुत्र निम्बाराम 16. वन्नुदेवी पत्नि चेतनराम 17. हीराराम पुत्र चेतनराम जाति जाट, निवासी चौखापुरा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 18. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा <p>बनाम</p>
--	--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन संख्या 331/2023

दिनांक : 20/06/24

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र केकड़ भू. अ.नि. क्षेत्र बामडला के मौजा चौखापुरा के खेत खसरा संख्या 1215/146 रकबा 1.0926 हैक्टर, खसरा संख्या 1216/5 रकबा 2.4929 हैक्टर, खसरा संख्या 145 रकबा 0.0809 हैक्टर, खसरा संख्या 735/5 रकबा 0.0971 हैक्टर, खसरा संख्या 1217/5 रकबा 0.8094 हैक्टर, खसरा संख्या 834/146 रकबा 2.9542 हैक्टर, खसरा संख्या 733/5 रकबा 3.7636 हैक्टर के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुटाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/सं.सं. 2024/2278-8)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थनी धना पुत्र भोजा वगैरा।
3. विप्रार्थीगण खेता पुत्र राणा वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाउ।

20/06/24
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा
दिनांक 20/07/24

20/06/24
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा